बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री सरयू द्विवेदी, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कोंच, गया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय ज्ञाप ज्ञापांक– 5637 दिनांक 04.09.2012 द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन देने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित नही करने तथा माह दिसम्बर, 2010 का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना का शत प्रतिशत उठाव नहीं करने के आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली 2005 के नियम 43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी ।

2. श्री द्विवेदी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये । श्री द्विवेदी के विरूद्ध पाये गये उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 6129 दिनांक– 01.12.2017 द्वारा उन्हें एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण/द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री वांछित स्पष्टीकरण/द्वितीय कारणपृच्छा अप्राप्त है ।

3. अतः सम्यक् समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित आरोप के लिए 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की जब्ती का दण्ड संसूचित करते हुए श्री द्विवेदी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 गया–24/2011–/1883–/खाद्य,पटना/दिनांक 12-03-18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, गया/उप निदेशक खाद्य, मगध प्रमंडल गया–सह–संचालन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ श्री सरयू द्विवेदी, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कोंच, गया सम्प्रति सेवानिवृत, पता– श्री सरयु द्विवेदी, द्वारा डॉ0 उदय नारायण झा, बालाजी एक्टेंशन, बी0एच0यू0, हाल्स के पूरब, सामने घाट, वाराणसी (यू0पी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016(PK)\sec 08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord. doc AKS